महत्वपूर्ण

संख्या : 6/2023/बी-1-468/दस-2023

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
(संलग्न सूची के अनुसार) विभाग।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 25 जुलाई, 2023

विषय : 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्ट्स टू स्टेट्स फॉर केपिटल इन्वेस्टमेन्ट, 2023-2024' के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित पूंजीगत परियोजनाओं के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्ट्स टू स्टेट्स फॉर केपिटल इन्वेस्टमेन्ट, 2023-2024' के अन्तर्गत 50 वर्षीय ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त योजना के पार्ट-I के अन्तर्गत व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनाँक 17 जुलाई, 2023 के द्वारा रुपये 17,939 करोड़ की स्वीकृति की सूचना दी गयी है। उक्त पत्र में स्वीकृत की गयी धनराशि को अवमुक्त किये जाने हेतु कतिपय शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक शर्त यह भी है कि दिनाँक 31 मार्च, 2023 तक प्रदेश में संचालित एस.एन.ए. खातों में अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि में जमा किये जाने का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) में राज्य के वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाय।

3- एस.एन.ए. खाते में अर्जित ब्याज को केन्द्र सरकार की समेकित निधि में जमा किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्टेण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिज़र (SOP) को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 19/2022/बी-1-677/दस-2022, दिनाँक 29 सितम्बर, 2022 के साथ संलग्न कर प्रदेश की शासनादेश की वेब-साईट पर अपलोड किया जा चुका है।

4- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 14 जून, 2023 के द्वारा एस.एन.ए. खाते में अर्जित ब्याज को जमा करने के सम्बन्ध में कतिपय विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप को भी संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विसंगतियों का निराकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतः आपसे अनुरोध है कि एस.एन.ए. खाते में दिनाँक 31 मार्च, 2023 तक अर्जित ब्याज की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर दिनाँक 28 जुलाई, 2023 तक अवश्य वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त।

संख्या : 6/2023/बी-1-468(1)/दस-2023, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निजी सचिव, अपर मुखय सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
2- समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अशासकीय पत्र संख्या : 6/2023/बी-1-468/दस-2023, दिनाँक 25 जुलाई, 2023 का संलग्नक

1	अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
2	पुलिस मुख्यालय - उ0 प्र0
3	आयुर्वेदिक सेवा निदेशालय - उ0प्र0
4	होम्योपैथी निदेशालय-उ0प्र0
5	पर्यटन निदेशालय
6	गन्ना एवं चीनी आयुक्त - उ0प्र0
7	प्राविधिक शिक्षा
8	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता - सिंचाई विभाग-उ0प्र0
9	निबन्धक- सहकारी समितियां - उ0 प्र0
10	पिछडा वर्ग कल्याण विभाग - उ0प्र0
11	महानिदेशक- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
12	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय - उ0प्र0
13	परिवार कल्याण महानिदेशालय - उ0प्र0
14	लोक निर्माण विभाग
15	वन विभाग
16	कृषि विभाग - उ0 प्र0 - लखनऊ
17	खाद्य एवं रसद विभाग
18	ग्राम्य विकास
19	निदेशक - पशुपालन विभाग - उ0प्र0 - लखनऊ
20	मत्स्य विभाग - उ0प्र0
21	उद्यान एव खाद्य प्रसॅस्करण विभाग - उ0प्र0
22	पंचायती राज निदेशालय - उ0प्र0
23	शारदा सहायक क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन परियोजना - लखनऊ
24	न्याय विभाग - उ0प्र0
25	खेल निदेशालय - उ0प्र0
26	मुख्य निर्वाचन विभाग
27	निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ
28	अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति शोध एंव प्रशिक्षण संस्थान - उ0प्र0
29	लघु सिंचाई विभाग
30	मद्दनिषेध विभाग उ0प्र0
31	महिला कल्याण निदेशालय उ0प्र0
32	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
33	स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश
34	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय - उ0 प्र0

अशासकीय पत्र संख्या : 6/2023/बी-1-468/दस-2023, दिनाँक 25 जुलाई, 2023 का संलग्नक

35	निदेशालय- जनजाति विकास - उ0 प्र0 - लखनऊ
36	दुग्धशाला विकास - उ0प्र0
37	रेशम निदेशालय उ0 प्र0
38	प्रांतीय रक्षक दल - विकास दल एवं युवा कल्याण निदेशालय
39	नियंत्रक - विधिक माप विज्ञान - उ0प्र0
40	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
41	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
42	यूनानी सेवा निदेशालय - उ0प्र0
43	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - उ0प्र0
44	सचिव ऊर्जा - उ0प्र0
45	राहत आयुक्त - उ0 प्र0
46	राज्य शैक्षिक अनु0 एवं प्रशि0 परिषद
47	रजिस्ट्रार – बजट – हाई कोर्ट
48	बेसिक शिक्षा विभाग
49	परती भूमि विकास विभाग
50	राज्य योजना आयोग - नियोजन विभाग
51	सभी के लिये शिक्षा परियोजना - उ0प्र0
52	मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण - उ0 प्र0
53	नगर विकास विभाग
54	प्राविधिक शिक्षा विभाग - उ0 प्र0 शासन
55	राज्य नगरीय विकास अभिकरण- उ0 प्र0
56	नियोजन विभाग - 3
57	माध्यमिक शिक्षा - अनुभाग 10
58	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

Annexure 4

Government of_____ (State)

No._____ Dated:

CERTIFICATE REGARDING DEPOSIT OF CENTRAL SHARE OF INTEREST ACCRUED IN SNA ACCOUNTS TILL 31ST MARCH, 2023 IN THE CONSOLIDATED FUND OF INDIA

It is hereby certified that the entire amount of Central share of interest accrued in the SNA accounts pertaining to all Centrally Sponsored Schemes (CSS) in the State has been deposited in the Consolidated Fund of India (CFI) in compliance of DoE's guidelines dated 23rd March, 2021 and instructions dated 30th June, 2021. The details of interest deposited is as follows –

Sl No	FY	Scheme	SNA Name	Total Interest accrued in the SNA account during the FY	Central share of Interest as per the approved funding pattern of the CSS	Amount of Central share of Interest deposited in CFI	Date of Deposit of Central share of Interest in CFI	Mode of Deposit (NTRP Portal, Cheque, Demand Draft, RBI Advice etc.)	Ref No of deposit (UTR No. etc)

Name:

Designation:

(To be signed by the concerned Finance Secretary of the State)

Government of India
O/o Controller General Of Accounts
Ministry Of Finance
Department Of Expenditure
Mahalekha Niyantrak Bhawan
GPO Complex, New Delhi
(PFMS Division)

File No. MF.CGA/I-126/2/2022-ITD-CGA/107 Date: 14.06.2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Procedure for remitting the interest earned on the funds lying in single nodal account to Central Government through Bharatkosh-PFMS.

Reference may be drawn to Department of Expenditure's OM No. 1/(13)/PFMS/2022 dated 15th July 2022, wherein the guidelines were issued w.r.t remittance of the interest accrued in the SNA account.

2. A detailed SOP (copy enclosed) was issued vide OM No 1-102/2/2022-ITD-CGA/249 dated 14.10.2022 wherein it was reiterated that the interest earned on the unspent balance is to be mandatorily routed through SNA's PFMS login through the menu - "Deposit Interest Earned" and is to be settled through - "Deduction Settlement" for accurate reflection of the deposited interest in SNA 04-A report.

3. It has been observed in a few cases that SNAs are not following the correct procedure as per the SOP resulting into non-reflection of the remitted interest in SNA reports. Following scenarios have been reported:

a. The user deposits the interest directly through the Bharatkosh portal without going through the complete loop of PFMS-Bharatkosh.
b. The users complete the loop of transferring the interest to holding account through PFMS but they are not generating the deposit slip through the 'remit interest' link of PFMS.
c. In some cases interest is remitted through DDs and Cheques also which is not allowed as per the OM No. I/(13)/PFMS/2022 dated 15.07.22 issued by DoE.
d. The interest is being transferred from the State's Treasury to the e-receipt account of the concerned PAO

4. The State Nodal Agencies are advised to observe due caution as explained above and deposit the interest on SNA unspent balance strictly through the PFMS-Bharatkosh process as outlined in the SOP.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(B Gopala Krishnakanth Raju)
Assistant Controller General of Accounts

To

1. Financial Advisors of all Ministries/Departments
2. All Pr. CCAs/CCAs/CAs with independent charge with a request to get the OM circulated to Program Divisions and all State Governments.

Copy to:

1. PPS to CGA (PFMS)
2. PPS to Additional Secretary (PFS), DoE, MoF
3. Director (PFS), Department of Expenditure, Ministry of Finance
4. Joint CGA (Roll out), PFMS with a request to circulate this OM to all State Directorates and give them necessary instructions to sensitize State Government Departments and Agencies.
5. All Joint CGAs/Dy. CGAs (PFMS)

No. PrAO/PFMS /2023-24/E-364613/ 113

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय
प्रधान लेखा कार्यालय
क. सं. 268 'अ', जी विंग, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

Dated: 15.06.2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Procedure for remitting the interest earned on the funds lying in Single Nodal Account to Central Government through Bharatkosh -reg.

The undersigned is directed to forward herewith the PFMS, DoE OM No. MF.CGA/I-126/2/2022-ITD-CGA/107 dated 14/06/2023 on the subject cited above for information and necessary action at your end.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Chayanika Chatterjee)
Accounts Officer

To,

All the Joint Secretaries/ equivalent (HoD-Centrally Sponsored Schemes), DoRD/DoLR/ MoPR with request to get the OM circulated to all the State Government/SNAs

Copy for information to:

1. PA to CCA, MoRD/MoPR
2. PA to CA, MoRD/MoPR